वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः1659/गोप0/20 दिनांकः 25.09.2020

अनुस्मारक

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय :— **परीक्षा वर्ष 2020 के अन्तिम वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा एवं मौखिकी दिनांकः 05 अक्टूबर 2020 तक सम्पन्न कराकर अंकपर्ण (Award List) प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2020 के **स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अन्तिम वर्ष** के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा एवं मौखिकी, परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांकः 20.04.2020 में की गयी संस्तुतियों पर कुलपति महोदय के आदेश दिनांकः 23.04.2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के द्वारा नामित वाह्य परीक्षकों एवं महाविद्यालय के आन्तरिक परीक्षकों से पूर्व की भाँति दिनांकः 25.09.2020 तक परीक्षा सम्पन्न कराकर अंकपर्णों को विषयवार दो प्रतियों में सीलबन्द लिफाफे में गोपनीय विभाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसे विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांकः 25.09.2020 के अनुपालन में दिनांकः 05.10.2020 तक विस्तारित की जाती है।

प्रायोगिक परीक्षा एवं मौखिकी कोरोना संक्रमण (Covid-19) के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सोसल/फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सुरक्षात्मक नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए ही सम्पन्न कराना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया परीक्षा वर्ष 2020 के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अन्तिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी उक्त तिथि से पूर्व कराकर परीक्षा सम्पन्न होने के 48 घण्टे के भीतर विश्वविद्यालय को अंकपर्ण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे समयान्तर्गत छात्रहित में परीक्षाफल घोषित किया जा सके अन्यथा **प्रायोगिक परीक्षा एवं मौखिकी के अंक के आभाव में किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति से वंचित हो जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रशासन का होगा।**

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समाचार सम्पादक .... को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में किसी ऐसे पृष्ठ पर जो पूर्वांचल के समस्त जनपदों में पहुँचता हो, उक्त सूचना निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. वेबमास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. आशुलिपिक, वित्तअधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।

परीक्षा नियंत्रक